न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबन्द, सहारनपुर।
उपस्थित. सुश्री निधि, उच्चतर न्यायिक सेवा (यू0पी0 2679)
सत्र परीक्षण सं0 425/2019

राज्य बनाम सुशील

मुकदमा अपराध संख्या 1444/18
धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम
थाना देवबन्द, जिला सहारनपुर।

आदेश

दिनांक 24.09.2022

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभियुक्त सुशील जिला कारागार देवबन्द से हाजिर आया। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित।

जेलर उपकारागार देवबन्द का पत्र क्रमांक 701 दिनांकित 22.09.2022 प्राप्त हुआ जिसमें उन्होने अभियुक्त सुशील पुत्र जोगेन्द्र, निवासी भवनपुर, थाना देवबन्द, जिला सहारनपुर। सत्र परीक्षण सं0 425/2019 मुकदमा अपराध सं0 1444/2018 धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना देवबन्द, जिला सहारनपुर, में अभियुक्त सुशील के सम्बन्ध में धारा 436ए दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जवाब दिया गया कि धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम के अन्तर्गत अधिकतम सजा 3 वर्ष है एवं बन्दी 3 वर्ष 10 माह 20 दिन पूर्ण कर चुका है। अतः उसे धारा 436ए दं0प्र0सं का लाभ देना न्यायोचित है।

उभयपक्षों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त सुशील इस मुकदमा में 3 वर्ष 10 माह 20 दिन से अधिक की अवधि जिला कारागार में बिता चुका है जो 3/25 आयुद्ध अधिनियम में दी गयी सजा से ज्यादा है। अतः उसे धारा 436 दं0प्र0सं का लाभ देना न्यायोचित है। अभियुक्त सुशील को सत्र परीक्षण सं0 425/2019 मुकदमा अपराध सं0 1444/2018 धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना देवबन्द, जिला सहारनपुर के मामले मे मुबलिग 50,000/– (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू पत्र एवं इस आशय की अण्डर टेकिंग देने पर कि वह प्रकरण के विचारण में सहयोग करेगा, गवाहान को डरायेगा–धमकायेगा नही, न्यायालय में उपस्थित रहेगा, जमानत पर रिहा किया जाये।

(सुश्री निधि)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
देवबन्द, जिला सहारनपुर।

दिनांक 24.09.2022